

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 5(10)गृह-1/2020पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 25.05.2022

आज्ञा

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03.2022 की अभिशंषानुसार निम्नांकित पुलिस निरीक्षक(दूरसंचार) को पुलिस उप अधीक्षक(दूरसंचार) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है-

क. सं.	नाम अधिकारी	घयन वर्ष	वर्ग
1	श्री हरिनारायण कुम्हार/श्री श्रीकृष्ण कुम्हार	2020-21 (रिक्ति दिनांक 01.04.2020)	अनारक्षित
2	श्री अमरराज/श्री हरि सिंह	2020-21 (रिक्ति दिनांक 01.06.2020)	अनारक्षित
3	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा/श्री हरद्वारी लाल स्वामी	2021-22 (रिक्ति दिनांक 01.04.2021)	अनारक्षित
4	श्री प्रमेन्द्र सिंह/श्री कंवर पाल सिंह	2021-22 (रिक्ति दिनांक 01.05.2021)	अनारक्षित

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को रिक्ति तिथि से पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि तक वेतन निर्धारण का लाभ नोशनल एवं कार्यग्रहण करने की दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा। उपरोक्त अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस